

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौडगढ

### अनवान

1. मांगीनाथ पिता घीसानाथ जाति नाथ निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ मृतक के बजाय
- 1/1 कंकूबाई पत्नी स्व०मांगीनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
- 1/2 देवीशंकर पिता स्व०मांगीनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ

### वादीगण

### बनाम

1. माधूनाथ पिता कैलाश नाथ जाति नाथ निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ मृतक के बजाय
- 1/1 जमनाबाई पत्नी स्व० माधूनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
- 1/2 सुखी पुत्री स्व० माधूनाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

### प्रतिवादीगण

--:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषण, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::-

प्रकरण संख्या :- 318/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्रीराजकुमार लडका अधिवक्ता वादी श्री राकेश नुवाल अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक राजीनामा मौजा आरणी पटवार हल्का आरणी तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, कुल किता 07 कुल रकबा 1.9748 हैक्टर मे वर्तमान में दर्ज अंकन के बजाय कंकूबाई पत्नी स्व०मांगीनाथ जाति नाथ, देवीशंकर पिता स्व०मांगीनाथ जाति नाथ निवासी आरणी 1/2, जमनाबाई पत्नी स्व०माधूनाथ जाति नाथ, सुखी पुत्री माधूनाथ जाति नाथ निवासी आरणी 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जावें पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.02.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीता वसीटा)  
सहायक कलक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

